

2016 का विधेयक संख्यांक 169

[दि इन्स्टीट्यूट्स आफ टेक्नालाजी (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सङ्गठनों वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, 5 नियत करे।

1961 का 59

2. प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, “और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (काशी हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (काशी हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, तिरुपति, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ 10 टेक्नालाजी, पलक्कड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल और माइन्स), धनबाद” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

धारा 2 का संशोधन।

धारा 3 का
संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(अ) खंड (ग) में उपखंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(xiv) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, तिरुपति नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, तिरुपति ;” 5

(xv) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पलक्कड़ नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पलक्कड़ ;

(xvi) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा ;

(xvii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड़ नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड़ ;” 10

(xviii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भिलाई नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भिलाई ;

(xix) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू ;” 15

(xx) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद नामक सोसाइटी के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद ” ;

(आ) खंड (छक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(छख) “इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद” से “इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद नामक सोसाइटी अभिप्रेत है ;”;

(इ) खंड (ज) में उपखंड (xi) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(xii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, तिरुपति ;”

(xiii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पलक्कड़ ;” 25

(xiv) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा ;

(xv) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड़ ;

(xvi) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भिलाई ;

(xvii) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू ;

(xviii) इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद ;” ;” 30

धारा 4 का
संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1घ) ऐसे निगमन पर, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद कहा जाएगा ।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में, स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 5 का
संशोधन।

5 “स्पष्टीकरण 3—इस धारा में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, तिरुपति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पलक्कड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के संबंध में इस अधिनियम के आरंभ के प्रति निर्देश का अर्थ उस तारीख के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा, जिसको प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं।”।

10 6. मूल अधिनियम की धारा 38 में,—

धारा 38 का
संशोधन।

(i) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

15 “(त) जब तक इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, तिरुपति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पलक्कड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गोवा, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धारवाड़, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जम्मू के प्रथम परिनियम और अध्यादेश इस अधिनियम के अधीन नहीं बनाए जाते हैं, तब तक प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से ठीक पहले यथा प्रवृत्त ऐसे संस्थानों के परिनियम और अध्यादेश उन संस्थानों को आवश्यक उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं हैं ;

20 (थ) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से ठीक पहले कार्यरत इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के नियमों के नियम 7 और विनियमों में निर्दिष्ट कार्यकारी बोर्ड तब तक इस प्रकार कार्य करता रहेगा, जब तक इस अधिनियम के अधीन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के लिए किसी नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद का कार्यकारी बोर्ड, जहां तक उसका संबंध इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद से है, कार्य नहीं करेगा ;

25 30 (द) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से ठीक पहले कार्यरत इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के नियमों के नियम 9 और विनियमों में निर्दिष्ट विद्या परिषद् तब तक इस प्रकार कार्य करती रहेगी, जब तक इस अधिनियम के अधीन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के लिए किसी नई सीनेट का गठन नहीं कर दिया जाता, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नई सीनेट के गठन पर इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद की विद्या परिषद् जहां तक उसका संबंध इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद से है, कार्य नहीं करेगी ;

35 40 (ध) जब तक इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के प्रथम परिनियम और अध्यादेश, इस अधिनियम के अधीन नहीं बनाए जाते हैं, तब तक प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से ठीक पहले इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की को लागू परिनियम और अध्यादेश, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद को आवश्यक उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं हैं ;

(न) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई छात्र, जो 2015-2016 के शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद की कक्षाओं में जाता था या जिसने 2015-2016 के शैक्षणिक सत्र में या उसके पश्चात् पाठ्यक्रम पूरे किए थे, उसे धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट 5 आफ टेक्नालोजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद में अध्ययन पाठ्यक्रम किया गया समझा जाएगा, परंतु यह तब जब, ऐसे छात्र को उसी अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए पहले ही डिग्री या डिप्लोमा प्रदान नहीं कर दिया गया है ;

(प) यदि प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित 10 आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस खंड के अधीन कोई आदेश प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016 के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि इस खंड के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के 15 पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।”;

(ख) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण 4—इस धारा के खंड (थ), खंड (द) और खंड (ध) में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के संबंध में इस 20 अधिनियम के आरंभ के प्रति निर्देश का अर्थ उस तारीख के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा, जिसको प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं ।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 संसद् द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने के लिए दिसंबर, 1961 में अधिनियमित किया गया था ।

2. भारत सरकार ने छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों के रूप में स्थापित किया है । इन संस्थानों को उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने के प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के क्षेत्र के भीतर लाए जाने की आवश्यकता है ।

3. भारत सरकार ने इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में संपरिवर्तित करने के अपने आशय की घोषणा फरवरी, 2015 में की थी । यह विद्यमान संस्थानों का नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में उन्नयन करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्तर की और संस्थाएं बनाने के लिए सरकार की समग्र सोच के अनुरूप है ।

4. तदनुसार, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद में संपरिवर्तन को प्रभावशील करने के लिए और छह नए स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को इसके क्षेत्र के भीतर लाने के लिए उक्त अधिनियम का संशोधन करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है । इसलिए प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016 अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए है, अर्थात् :—

(क) छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सम्मिलित करना और उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करना ;

(ख) इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना और उसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली के साथ समेकित करना ;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नए स्थापित किए गए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद को निगमित करना ;

(घ) यह उपबंध करना कि जब तक नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद के परिनियम और अध्यादेश प्रवृत्त नहीं होते, तब तक छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ऐसे संस्थानों के यथा प्रवृत्त विद्यमान परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा शासित होंगे और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा शासित होगा ;

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

**नई दिल्ली ;
14 जुलाई, 2016**

प्रकाश जावड़ेकर

वित्तीय ज्ञापन

प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016 का खंड 2 छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद का इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद में संपरिवर्तन करना और उनकी राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में घोषणा करना भी है।

2. वर्ष 2016-2017 के दौरान योजना निधियों के अधीन छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को 230 करोड़ रुपए और आईआईटी (इंडियन स्कूल आफ माइन्स), धनबाद को 100 करोड़ रुपए और गैर योजना आवंटन के अधीन 85.20 करोड़ रुपए का बजट आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

3. छह नए आईआईटी की स्थापना और इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद को आईआईटी में संपरिवर्तित करने के लिए व्यय की पूर्ति मानव संसाधन मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन बजट उपबंध के माध्यम से भारत की संचित निधि में से की जाएगी।

4. विधेयक में भारत की संचित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतर्वलित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 6 का उपखंड (i) अधिनियम की धारा 38 में नए खंड (t) और खंड (d) अंतःस्थापित करता है, जो प्रौद्योगिकी संस्थानों को परिनियम और अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करता है। नया खंड (p) केंद्रीय सरकार को आदेश द्वारा कठिनाइयां दूर करने के लिए सशक्त करता है, जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हों। इसके अतिरिक्त उक्त खंड के अधीन ऐसा आदेश, प्रस्तावित विधान के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाना है। प्रत्येक ऐसा आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

2. वे विषय, जिनकी बाबत परिनियम, अध्यादेश या आदेश बनाए जाएं या जारी किए जाएं, प्रशासनिक व्यौरों और प्रक्रिया के विषय हैं तथा उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 59) से उद्धरण

* * * * *

कुछ संस्थानों का
राष्ट्रीय महत्व की
संस्थाएं घोषित किया
जाना।

2. इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, मुम्बई, कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी, दिल्ली, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गुवाहाटी, असम, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, मद्रास, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुडकी, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, भुवनेश्वर, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गांधीनगर, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, हैदराबाद, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, इंदौर, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, जोधपुर, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, मंडी, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पटना, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रोपड और इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी नामक संस्थाओं के उद्देश्य इस प्रकार के हैं कि वे उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बनाते हैं, अतः इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इनमें से प्रत्येक संस्था राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

* * * * *